

S.No.	Name of the Office	Number of Officials involved	Outcome of the Searches
	<i>Delhi Government Offices</i>		<i>14 Searches (Fourteen)</i>
(0)	Sub-Registrar. V, C-Block, DDA, Vikas Sadan, N.Delhi	4	
m	Sub-Registrar Offices at:—		
	(a) Tis Hazari	1	
	(b) Kashmiri Gate	1	
	(c) Janak Puri	1	
i	(d) Asaf Ali Road	2 (Private person)	
	(e) Seelam Pur	NIL	
(iii)	<i>Motor Vehicles Inspection Unit, Burari, Deptt. of Transport Commissioner Delhi Administration.</i>	11 (Including 4 Private Persons)	In all the above cases registered by the CBI, the Law will take its course.
(iv)	<i>Sales Tax Office, IP Estate (6 Wards)</i>	8 (Including 1 Private Person)	

ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में मेहता समिति 501. श्रीमती सुषमा स्वराज: श्री राम जेठमलानी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) डी .आर. मेहता समिति कब गठित की गई थी और इस समिति के सदस्यों के नाम क्या है; (ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं; (ग) यदि हां, तो सरकार को यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी और समिति ने क्या सुझाव दिए हैं; और (घ) क्या सरकार ने उन सुझावों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही की है और यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपमशन विभाग (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) श्री डी . आर . मेहता की अध्यक्षता में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ समिति को 29 सितंबर, 993को गठित किया गया था। इस समिति के	संघटन को विवरण में दर्शाया गया हैं। (ख) जी, हां । (ग) रिपोर्ट अक्तूबर, 1994 में प्राप्त हुई थीं । समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:- (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी, (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गरीबी को रेखा से नीचे के परिवारों का चयन उनके परिसम्पत्तियों के रख- रखाव के बारे में दक्षता , रुझान और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य लोगों को भी सहायता उनके द्वारा ट्राइसेम अथवा अन्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल के अर्जन अथवा उसे उन्नत बनाने के आधार पर दी जा सकती है, (3) इस समय कार्य आरंभ होने से पहले सबसिडी दिए जाने की प्रणाली की कार्योत्तर सबसिडी दिया जाना.
---	--

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की बेहतर वसूली हेतु उपाय,

(5) यथार्थवादी पुनर्अर्दायगी अनुसूची बनाना और प्रतिभूति मुक्त सीमा में वृद्धि,

(6) कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने की आवश्यकता,

(7) बुनियादी ढांचों की बेहतर आयोजन और विकास पर बल देना,

(8) अधिक ऋण और उच्चतर सबसिडी को मुहैया कराकर प्रति परिवार सहायता के सतर में वृद्धि ;

(9) समूह गतिविधियों के लिए वित्त की अधिकतम सीमा को बढ़ाना और ;

(10) परम्परागत लक्ष्योन्मुख नीतियों में संशोधन ।

(घ) जी, हां । समिति की सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया / स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, 1995 में बैंकों को संबंधित सिफारिशें लागू करने के अनुदेश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं । तथापि ,कुछ सिफारिशें जिन पर नीति संबंधी निर्णयों की आवश्यकता है, को मंत्रीमंडल के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री डी . आर. मेहता डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय बम्बई 400023	अध्यक्ष
2. श्री बी .एन. युगान्धर सचिव , भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन , नई दिल्ली - 110001	सदस्य
3. श्री आर . वी .गुप्ता विशेष सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली -110001	सदस्य
4. श्री पी. कोटैया अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास , बैंक स्टर्लिंग सेंटर ,वलों, बम्बई -400018	सदस्य

5. श्री रशीद जिलानी अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक पंजाब नेशनल बैंक 7- भीकाजी कामा प्लेस अफ्रीका एवेन्यू, नई दिल्ली -1100066	सदस्य
6. श्री टी . के . के . भागवत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंण्डियन ओवरसीज बैंक प्रधान कार्यालय पी.बी.नं -3765 762 अत्रा सप्लाई मद्रास -600002	सदस्य
7. डा . राम के. बेपा आई . ए. एस. (सेवा निवृत्त) 2058 सैक्टर सी -2 वसन्त कुंज नई दिल्ली -110070	सदस्य
8. सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास विभाग सरकारी सचिवालय लखनऊ -226001	सदस्य
9. श्री एस .एन. घोष सचिव पश्चिम बंगाल सरकार ग्रामीण विकास विभाग राजभवन, कलकत्ता - 700001	सदस्य
10. डा.टी .सी . ए. श्री निवासरामानुजन महानिदेशक राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान राजेन्द्र नगर, हैदराबाद -500003	सदस्य
11. श्री मनी भाई देसाई भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन उलीकंचन, जिला पुने महाराष्ट्र समाप्त हो गयी	निधन के कारण 14.11.1993 से उनकी सदस्यता
12. मिस निर्मला देशपांडे अध्यक्ष हरिजन सेवा संघ गुरु तेग बहादुर नगर दिल्ली -110009	सदस्य

«

13. डा. ए. के. बसु ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसाइटी बरियात् रांची (बिहार) - 894009	सदस्य
14. श्री अलोसियस पी. . फनर्डिज सदस्य कार्यकारी निदेशक मैसूर रिसेटैलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी 2 सर्विस रोड हमलूर बैंगलोर -562071	सदस्य
15. प्रो. वी. एस. व्यास निर्देशक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज 8- बी मौलान इंस्ट्र्यूशनल एरिया जयपुर -302004	सदस्य
16. अध्यक्ष खादी ग्रामोदयोग आयोग इर्ला रोड बिले पारले (वेस्ट) बम्बई -400056	सदस्य
17. श्री जे. एम. चोना आर्थिक सलाहाकार सरल प्लार्गि एंड क्रेडिट विभाग रिजर्व बैंक आफ इंडिया बम्बई	सदस्य सचिव

* अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

श्री के. , कैनन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, देना बैंक को श्री भागवत के स्थान पर नियुक्त किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री के. के. मुदगिल, मुख्य अधिकारी ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक 25.07.1994. से सदस्य सचिव नियुक्त हुए हैं।

Tussle between Director and President of AIIMS

502. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there was tussle between the Director and. President of the All India Institute of Medical Science (AIIMS), Delhi; and

(b) if so, what steps have been taken to avoid general deterioration, frustration and demoralisation in all ranks of the faculty?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rate of interest on loans of Khadi and Village Industries

503. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state whether Government propose to reconsider its decision to enhance the rate of interest of the loans of the Khadi and Village Industries Boards and Khadi commission,-from 4% to a higher rate so as to help the poor applicant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): On the basis of the recommendations of the High Power Committee, the scheme of providing interest subsidy on loans for the village industries has been discontinued. In its recommendations, the Committee has emphasised the need to obtain adequate finance rather than concessional finance for village industries.

As a follow up on the recommendations of the Committee, Khadi & Village Industries Commission (KVIC) has been permitted to provide margin money upto 25% of the project cost subject to a ceiling of Rs. 4 lakhs in the form of grant for all viable village